

... २०-३१३

रीडर

... ३१) वाफा साक्षा
... १०-५-१८ को पेश है

... पत्रवली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
...
... १५-५१८

रीडर

१५५१८ पत्रवली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
...
... २०-६१८

रीडर

१५५१८ पत्रवली पेशी में ली गई। पत्रवली दि०
३५-५१८ को राजस्व लोक अदालत कैम्प खानपुरबडौदा
पर पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

३५५१८ पत्रवली राजस्व लोक अदालत कैम्प
खानपुरबडौदा पर पेश हुई। वादी करमचन्द के
पुत्र सुरेश व प्यारसिंह उपस्थित है। इन्होंने
राजीनामा इस आशय का पेश किया कि उनके
पिता करमचन्द की मृत्यु हो चुकी है। दावे में
ब्रह्मीय त्रुटि होने के कारण वे नया दावा पेश करने
को अनुमति के साथ इस दावे को वापस ले रहे हैं।

सुरेश
प्यारसिंह

... १-१-१८

पत्रवली दि० २०-५-१८


तारीख
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उल्टे वापिस कर दिये जावे।

प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है एवं वादी को नवीन दावा पेश करने की अनुमति के साथ यह दावा वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी को उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों वापिस कर दिए जावे। पचा डिफ्री जारी किया जावे।

पचावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमीले दारखिल दफतर हो।


(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी


(सनीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी


(बाबूलाल जाट)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
स्व
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

महान्यायक अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गंगापूर, सिटी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट
केम्प कोर्ट का स्थान :- खानपुर, गंगापूर

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 25.5.2018

ब्रह्मचर्य बनाम जे.एस.टी.ए.
14/08 अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 Pt. Pt.

~~ब्रह्मचर्य~~ सुरेश, (धार सिंह)
उक्त प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
सकती है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
इस प्रकार निम्नानुसार तय हुआ है :-

वादी के पुत्र सुरेश व धार सिंह
को 10000 रुपये की 3 तक 1 दिना वादी ब्रह्मचर्य की
बाद 10000 रुपये के 3 तक 1 दिना वादी ब्रह्मचर्य की
बाद 10000 रुपये के 3 तक 1 दिना वादी ब्रह्मचर्य की
बाद 10000 रुपये के 3 तक 1 दिना वादी ब्रह्मचर्य की

कि इनका राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

- प्रतिवादी पक्ष 1.
- 2.
- 3.
- 4.


पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी
राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना
सुनिश्चित किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(हो सदस्य) (हो सदस्य) (हो सदस्य)
(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी

(बाबूलाल जाधव)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
सर्व
उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

लोक अदालत
गंगापूर सिटी